विचार व्यक्त करने की आज़ादी व उसकी मर्यादा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सोशल मीडिया के जरिये आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर पत्रकार प्रशांत कनौजिया को जेल में डाल दिया गया था। इस कार्रवाई को गलत बताते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। न्यायालय का यह फैसला तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन स्वतंत्रता के बुनियादी अधिकारों पर स्पष्ट शब्दों में उसने जो कहा है, वह भी महत्वपूर्ण है। ऐसे असंदिग्ध शब्दों में दिए फैसले आगे जाकर सत्र और उच्च न्यायालयों के लिए दिशा दिखाने वाले निर्णय साबित होते हैं। इसी से लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों को मजबूती मिलती है। वास्तव में इस मुद्दे को लेकर बखेड़ा पैदा होने का कोई कारण नहीं था। सोशल मीडिया पर लगभग सारे नेताओं, सेलिब्रिटी, वरिष्ठ पत्रकार, विचारक आदि ट्रोल होते रहते हैं। लेकिन, आज तक इसे लेकर किसी की गिरफ्तारी होने की नौबत नहीं आई। हालांकि, पत्रकार की पोस्ट में मुख्यमंत्री को लेकर की गई टिप्पणी राज्य सरकार को नागवार गुजरी। एक पुलिस उपनिरीक्षक की शिकायत पर उसके खिलाफ प्रकरण दायर कर लिया गया और तत्काल गिरफ्तारी भी हो गई। उस पर मुख्यमंत्री की छवि खराब करने का आरोप लगाया गया। गिरफ्तारी के खिलाफ पत्रकार की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई और सुनवाई के बाद उन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश दिया गया। न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नागरिकों की स्वाधीनता अटल है। इससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। यह स्वतंत्रता हमें संविधान से मिली है और इससे कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण होने का मतलब यह नहीं कि इस प्रकार की टिप्पणियों को न्यायालय की सहमति है। पत्रकार की टिप्पणी पर न्यायालय ने तीखे शब्दों में नाराजगी जाहिर की है और उस पर कानून सम्मत कार्रवाई जारी रहेगी। इस तरह न्यायालय ने सोशल मीडिया और सरकार के स्तर पर जाहिर दोनों ही प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाया है। फैसले से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो पुष्ट हुई ही, उसकी मर्यादा भी स्पष्ट हुई है। इस बुनियादी अधिकार का किसी की छवि खराब करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

अपनी प्रवृत्तियों को जुनून व करुणा में बदलें

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता
humarehanuman@gmail.com

आप स्वयं यह तय करें कि आपके रक्त में होश बह रहा है या पागलपन? पागल व्यक्ति ज़िंदा होने के बाद भी मरे जैसा है। चाहे वह कितना भी प्रिय व्यक्ति हो, एक सीमा के बाद हर मुर्दे से लोग परहेज करते हैं। निष्प्राण देह समय पर विदाई मांगती है। हम बात कर रहे हैं पागलपन की। हर मनुष्य के भीतर थोड़ा-बहुत पागलपन बसा ही है। जो समझदार दिखते हैं, उन्होंने अपने पागलपन को कहीं रोक लिया है और जो घोषित पागल हैं उनका प्रकट हो गया है। लेकिन, यदि आप भीतर के पागलपन को व्यवस्थित कर लें तो वह आपको दो खूबियां देकर जाएगा। पहली खूबी होगी जुनून, जिसके साथ आप दुनिया का कोई भी काम कर सकेंगे। पागलपन व्यवस्थित होकर जुनून में बदल जाए तो लक्ष्य प्राप्त करने में सुविधा होगी। दूसरी खूबी आपके भीतर उतरेगी करुणा के रूप में। करुणामय होने के लिए एक पागलपन चाहिए। यह करुणा दूसरों के लिए होगी, चेतन और जड़ सबके लिए रहेगी। जैसे ही भीतर का पागलपन करुणा में बदला, आप सबके लिए मित्रतापूर्ण, मिलनसार और मस्त हो जाएंगे। आपकी भावनाएं जुनून और करुणा के साथ सरल हो जाएंगी, आपकी चेतना में एक सहज बहाव आ जाएगा। किसी के साथ खड़े होंगे तो व्यक्तित्व से एक गूंज निकलेगी, दूर से देखने वाले लोग आपको एक नदी की तरह पाएंगे, जिसमें सहज बहाव है। तो चलिए, अपने पागलपन को ढूंढ़ें, उसे व्यवस्थित करें और जुनून व करुणा में बदल दें। ज़िंदगी का आनंद इसी में है..।

जीने की राह कॉलम पं. विजयशंकर मेहता जी की आवाज में मोबाइल पर सुनने के लिए 9190000072 पर मिस्ड कॉल करें

हमें चाहिए असरदार राज और ताकतवर समाज

संदर्भ... इसे मुमकिन बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को साहस के साथ शासन संबंधी सुधार लागू करने चाहिए

गुरचरण दास
लेखक और स्तंभकार
gurcharandas@gmail.com

नरेन्द्र मोदी के फिर चुने जाने के बाद धीरे-धीरे बढ़ती तानाशाही का भय फिर जताया जा रहा है लेकिन, मुझे उलटी ही चिंता है। मुझे शक्तिशाली से नहीं बल्कि कमजोर व बेअसर राज्य-व्यवस्था (राज) से डर लगता है। कमजोर राज्य-व्यवस्था में कमजोर संस्थान होते हैं, खासतौर पर कानून का कमजोर राज होता है, जिसे न्याय देने में दर्जनों साल लग जाते हैं और अदालतों में 3.3 करोड़ प्रकरण निलंबित रहते हैं। यह कमजोरों को शक्तिशाली के खिलाफ संरक्षण नहीं देती और विधायिका के हर तीन में से एक सदस्य के आपराधिक रिकॉर्ड को बर्दाश्त कर लेती है। कमजोर राज्य-व्यवस्था लोगों के मन में निश्चिंतता के बजाय अनिश्चितता पैदा करती है और पुलिसकर्मियों, मंत्रियों और जजों को खरीदे जाने की अनदेखी करती है। यह कार्यपालिका को तेजी से कार्रवाई करने से रोकती है और सुधारों को घोंघे की रफ्तार से लागू करती है।

मोदी ने पिछले पांच वर्षों में यह सबक लिया होगा कि भारतीय प्रधानमंत्री की शक्ति की सीमा है। उदारवादी लोकतांत्रिक राज्य-व्यवस्था तीन स्तंभों पर आधारित होती है-प्रभावी कार्यपालिका, कानून का राज और जवाबदेही। हम तीसरे स्तंभ की बहुत चर्चा करते हैं, जबकि असली मुद्दा पहले का है। चूंकि देश हमेशा चुनावी मोड में रहता है तो इसकी समस्या जवाबदेही की नहीं है। समस्या राज्य व्यवस्था के काम करवाने की योग्यता की है। भारतीय प्रधानमंत्री इसलिए भी कमजोर है, क्योंकि असली शक्ति तो राज्यों के मुख्यमंत्रियों में निहित है, जो भारत के असली शासक हैं। विडंबना है कि मुख्यमंत्री के रूप में नरेन्द्र मोदी के प्रदर्शन के कारण उन्हें 2014 में चुना गया था और हमने मान लिया था कि वे प्रधानमंत्री बनने के बाद वही जादू दिखाएंगे लेकिन, ऐसा हुआ नहीं।

2014 में नरेन्द्र मोदी ने लोगों से कहा कि वे उन्हें भारत को पूरी तरह बदलने के लिए दस साल दें। यह मौका उन्हें मिल गया है। वह बदलाव आर्थिक सुधारों से नहीं, बल्कि शासन संबंधी सुधारों से शुरू होना चाहिए। मोदी ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर से प्रेरणा ले सकते हैं। उन्होंने शासन संबंधी कठिन सुधारों को दूसरे कार्यकाल के लिए रखा। भारत में राज्य-व्यवस्था की क्षमता बढ़ाना आसान नहीं है, क्योंकि चीन के विपरीत भारत ऐतिहासिक रूप से एक कमजोर राज्य-व्यवस्था वाला देश रहा है। हमारा इतिहास स्वतंत्र राज्यों का है, जबकि चीन का इतिहास एकल साम्राज्यों का है। भारत के चार साम्राज्य -मौर्य, गुप्त, मुगल और ब्रिटिश- चीन के सबसे कमजोर साम्राज्य से भी कमजोर थे।

हमारी पहली वफादारी समाज के प्रति है- हमारा परिवार, हमारी जाति, हमारा गांव। चाहे राज्य-व्यवस्था ज्यादातर कमजोर रही पर भारत में हमेशा शक्तिशाली समाज रहा है। इसलिए दमन शासन ने नहीं किया, यह समाज की ओर से हुआ मसलन जैसा ब्राह्मणों ने किया और हमें दमन से बचाने के लिए बुद्ध जैसे संन्यासी और संतों की एक सतत धारा की जरूरत पड़ी। चूंकि सत्ता ऐतिहासिक रूप से बिखरी हुई थी तो भारत 70 साल पहले संघीय लोकतंत्र और चीन केवल तानाशाही राष्ट्र ही बन सकता था। इतिहास से मिला सबक है कि हमें मजबूत राज्य-व्यवस्था चाहिए और राज्य-व्यवस्था को जवाबदेह बनाने के लिए ताकवर समाज चाहिए।

विडंबना है कि आज चीन की सरकार भारत की सरकार से ज्यादा लोकप्रिय है, क्योंकि इसने असाधारण प्रदर्शन किया है। न सिर्फ इसने गरीबी मिटा दी है, देश को मध्यवर्गीय बना दिया बल्कि यह लगातार दिन-प्रतिदिन के शासन में सुधार करती जा रही है। कुल-मिलाकर चीन ने आम आदमी को बेहतर शिक्षा व स्वास्थ्य दिया और उनका कल्याण किया। तानाशाही व्यवस्था इसकी सफलता का रहस्य नहीं है बल्कि रहस्य यह है कि इसने राज्य की क्षमता पर फोकस रखा। जहां चुनावों ने भारतीय लोगों को अधिक स्वतंत्रता दी है (और यह बहुत बड़ी उपलब्धि है), चीन की सरकार ने बेहतर शासन के जरिये दिन-प्रतिदिन की निश्चिंत जिंदगी दी है। कहने का मतलब यह नहीं कि भारतीयों को अपनी व्यवस्था चीनियों से बदल लेनी चाहिए (उन्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए)। किंतु यदि आप भारतीय व चीनी आम आदमी की जगह खुद को रखकर देखें तो आपको भारतीय लोकतंत्र द्वारा चुनी गई ज्यादातर सरकारों से हताशा होगी।

चीन ने अपनी नौकरशाही को ज्यादा प्रेरित व प्रभावी बनाकर शासन की क्षमता बढ़ाई। इसका मतलब है अधिकारियों के प्रदर्शन पर निकट से निगाह रखना और उन्हें पुरस्कृत करना है। चीनी नौकरशाही में पदोन्नति वरिष्ठता से नहीं बल्कि नागरिकों को बेहतर सेवाएं देने के आधार पर होती है। इससे चीनी नौकरशाह, नियमों से बंधे भारतीय अधिकारियों के विपरीत अधिक व्यावहारिक रवैया अपनाने को प्रेरित होते हैं। भारतीय नौकरशाही दशकों से पीड़ित रही है, क्योंकि किसी राजनेता में उन अत्यंत जरूरी सुधार लागू करने का कौशल नहीं था, जिस पर पचास साल पहले सहमति बनी थी। कर वसूली का एक ईमानदार और पारदर्शी तंत्र, अधिक कर वसूल कर सकेगा। यही बात राज्य-व्यवस्था के तीन अंगों – न्यायपालिका, पुलिस व संसद में सुधारों पर लागू होती है।

क्या नरेन्द्र मोदी ऐसे प्रभावी नेता साबित होंगे, जो निहित स्वार्थी तत्वों का सामना करके राज्य-व्यवस्था की क्षमता बढ़ाने का साहस दिखाएंगे? उन्हें गुजरात व केंद्र दोनों स्तरों पर काफी अनुभव प्राप्त है। वे निहित स्वार्थी तत्वों से टकराने के जोखिम भी जानते हैं। शुरुआत स्पष्ट दिखते आसान सुधारों से हो सकती है। यानी पहले तो मौजूदा कानून लागू करें, फिर नए कानून बनाएं। नीति का रिश्ता 'क्या' से नहीं बल्कि 'कैसे' से होता है। हर कोई जानता है कि 'क्या' किया जाना चाहिए पर सवाल तो यह है कि इसे 'कैसे' किया जाए। भारत में बहुत सारे 'कानून' हैं पर चीन में 'व्यवस्था' है। आप को दोनों की जरूरत है- 'कानून और व्यवस्था' (लॉ एंड ऑर्डर)।

हालांकि, केंद्रीयकृत शासन भारत के लिए ठीक नहीं है पर भारत का प्रधानमंत्री इतना मजबूत होता है कि वह केंद्र व राज्य, दोनों स्तरों पर शासन की क्षमता बढ़ा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी को लोगों का जबर्दस्त समर्थन मिला है, जो शासन में सुधार के लिए सुनहरा मौका है। सरकारी संस्थानों में सुधार, आर्थिक सुधारों से कहीं अधिक कठिन होगा लेकिन, फिर उसके फायदे भी कहीं ज्यादा होंगे। यदि मोदी सफल होते हैं तो इतिहास में उन्हें न सिर्फ महान नेता के रूप में बल्कि इस बात के लिए भी जाना जाएगा कि उन्होंने 'न्यूनतम सरकार,अधिकतम शासन' का अपना वादा पूरा किया।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

हम कब यह समझेंगे कि औरत की मर्जी के खिलाफ हर संबंध दुष्कर्म है

अस्तित्व

हम औरतें रोज सुबह उठती हैं और मनाती हैं कि आज किसी पुरुष के असंवेदनशील चेहरे का सामना न हो। जब से समझ आई, चेतना आई, भेदभाव को पहचानने की नज़र आई, तब से यही होता आ रहा है। उम्मीद है कि जाती नहीं और नई रोशनी है कि आती नहीं। अलीगढ़ में हुई ढाई साल की बच्ची की बर्बर हत्या के बाद उस दिन भी सुबह अखबार खोलते हुए यही सोचा होगा कि अब इस पर कोई बकवास न करे। लेकिन हुआ यही कि एक नेता ने मुंह खोला और भर-भरकर मूर्खता और असंवेदनशीलता को उड़ेलकर रख दिया। यूपी सरकार में जल संसाधन, वन और पर्यावरण मंत्री, स्वतंत्र प्रभार उपेंद्र तिवारी दुष्कर्म को दुष्कर्म कहकर संतुष्ट नहीं थे। वो तो यह मानने को भी राजी नहीं थे कि हर दुष्कर्म, दुष्कर्म ही होता है। जैसे स्कूल में टीचर जी हर चीज के प्रकार बताया करते थे, तिवारी जी ने पत्रकारों को दुष्कर्म के प्रकार और प्रकृति समझाना शुरू कर दिया। वे बोले, 'दुष्कर्म का नेचर होता है, अब जैसे कोई नाबालिग लड़की है, उसके साथ दुष्कर्म हुआ है तो उसको तो हम दुष्कर्म मानेंगे, लेकिन कहीं-कहीं यह भी सुनने में आता है कि कोई विवाहित महिला है, उम्र 30-35 साल या इससे ज्यादा है उनके साथ दुष्कर्म हुआ है।'

यानी उम्र 30 के ऊपर है, मेरिटल स्टेटस शादीशुदा है तो उसके साथ दुष्कर्म नहीं हो सकता। हो भी गया तो उसे दुष्कर्म नहीं माना जाएगा। बच्ची के साथ हो, नाबालिग के साथ हो, अविवाहित के साथ हो तो वो दुष्कर्म है, उम्रदराज के साथ हो, बालिग के साथ हो, विवाहित के साथ हो तो दुष्कर्म नहीं है। क्या अचम्भा होगा इस बात पर कि इस देश में मेरिटल रेप को दुष्कर्म मानने में अभी शायद सौ साल लगेंगे। राजस्थान में जब भंवरी देवी के साथ दुष्कर्म हुआ तो लोअर कोर्ट के जज ने कहा कि कोई चाचा अपने भतीजे के सामने ऐसी हरकत नहीं कर सकता। ये हमारे संस्कारों में नहीं। लिहाजा हम नहीं मानते कि दुष्कर्म हुआ है। पाकिस्तान में मुख्तारन माई का वो केस, जिसमें कोर्ट ने कहा कि बाप-भाई ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि तिवारी जी के इस बयान की आलोचना नहीं हुई, लेकिन इस बयान के निहितार्थ और छिपे हुए अर्थ को किसी ने डीकोड करने की कोशिश नहीं की। औरतें बोली नहीं इस पर क्योंकि आमतौर पर वे बोलती ही नहीं, लेकिन हमें यकीन है कि वह समझ तो गई थीं। समझ गई थीं, इसलिए ये बात उन्हें ज्यादा डरावनी भी लगी। दुष्कर्म को बालिग-नाबालिग, विवाहित-अविवाहित के सांचे में बांटने का गहरा निहितार्थ औरत को वर्जिन और नॉन वर्जिन के सांचे में बांटना है। अनछुई कुंवारी, सेक्स के अनुभव से वंचित लड़की के साथ जबर्दस्ती हो तो वो दुष्कर्म है, लेकिन विवाहित स्त्री तो अनुभवी स्त्री है। उसके साथ कोई उसकी मर्जी के खिलाफ जबर्दस्ती करे तो ये इतना बड़ा अपराध नहीं।

सोचकर देखिए, यह दुष्कर्म के अर्थ से कहीं ज्यादा डरावना है। स्त्री का पूरा जीवन, उसकी इज्जत, सुख-दुख,आदर-निरादर,प्रेम-सम्मान सब उसके शरीर में। यह सोच इतनी गहरी कि दुष्कर्म को भी श्रेणियों में बांट देती है। कितने बरस लगेंगे पितृसत्ता को ये बात समझाने में कि औरत की मर्जी के खिलाफ बनाया गया हर संबंध रेप है, हर संबंध गलत है। हर गलत, गलत ही होता है। यह कोई आम नहीं कि कैटेगरी में बांट दो तुम।

वेब भास्कर

फोटोग्राफी... मलेशिया के गुनुंग मुलु पार्क की क्लियरवाटर गुफा की कुल लंबाई है 227 किलोमीटर, 100 वैज्ञानिकों ने खोजा था इसे

यह फोटो मलेशिया के गुनुंग मुलु नेशनल पार्क में स्थित दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी गुफा क्लियरवाटर केव सिस्टम का है। कई गुफाओं वाले इस केव सिस्टम की कुल लंबाई 227 किलोमीटर है। यह पार्क यहां पर मौजूद खास तरह की चूने की चट्टानों, गुफाओं व उन्हें तलाशने के लिए चले अभियानों के लिए जाना जाता है। 1977-78 के दौरान यहां पर रॉयल ज्योग्राफिक सोसायटी के अभियान में 15 महीनों तक 100 से अधिक वैज्ञानिकों ने भाग लिया था। इसके अलावा यहां पर दो और प्रमुख गुफाएं सारावाक चेंबर और डियर केव हैं। इन गुफाओं में चमगादड़ की 28 प्रजातियां पाई जाती हैं। • ttnotes.com

टॉप ऑन वेब • reddit

हैकर को फिरौती देने की बजाय दान कर दीं अलबम

पिछले हफ्ते एक हैकर ने ब्रिटेन के प्रसिद्ध म्यूजिकल ग्रुप रेडियोहेड की अब तक जारी नहीं हुईं 18 संगीत अलबम को चुरा लिया। इनमें से हर एक अलबम एक घंटे की थी। इस हैकर ने धमकी दी कि अगर उसे करीब एक करोड़ रुपए (1,50,000 डॉलर) की फिरौती नहीं दी गई तो वह इन अलबम को ऑनलाइन जारी कर देगा। रेडियोहेड ने इस हैकर की धमकी में आने की बजाय खुद ही इन अलबम को जारी कर दिया और इससे मिलने वाली राशि को पर्यावरण संगठन के लिए काम करने वाले एक संगठन को दान करने की घोषणा कर दी।

अलबम के लीड सिंगर थॉम योर्क की आवाज में उनके बैंड ने 1997 में ओके कंप्यूटर के साथ काम करते हुए इन गीतों को तैयार किया था। 18 मिनी डिस्क के रूप में रखे गए इन अलबम में हरेक एक घंटा अवधि की थी। रेडियोहेड के गिटारवादक जॉनी ग्रीनवुड ने कहा कि वे इन्हें कभी भी पब्लिक नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ये ओके कंप्यूटर तक नहीं पहुंची थीं। इसके अलावा बहुत लंबी होने की वजह से भी वे इसकी रिलीज के पक्ष में नहीं थे, लेकिन हैकर की धमकी के बाद उन्होंने इन्हें ऑनलाइन जारी कर दिया है।

ये गीत करीब 1600 रुपये में ऑनलाइन उपलब्ध हैं। बैंड ने एक बयान में बताया कि इनकी बिक्री से मिलने वाली सारी राशि एक्सटिंक्शन रेबेलियन को मिलेगी। एक्सटिंक्शन रेबेलियन एक स्वयंसेवी संगठन है, जो मानव द्वारा पर्यावरण को पहुंचाए गए नुकसान के साथ ही जैव विविधता को होने वाली क्षति के प्रति जागरूकता के लिए कार्य करता है। इस ग्रुप द्वारा आयोजित कार्यक्रमों से ब्रिटेन में क्लाइमेट चेंज के प्रति लोगों के नजरिए में भारी बदलाव आया है।

68,908

ट्रेंडिंग प्वाइंट्स और 86 प्रतिशत अपवोट्स के साथ यह पोस्ट शीर्ष पर है। इस पर 1618 कमेंट्स भी किए गए हैं

अमेरिकन डिप्लोमेसी: अमेरिका को प्रधानमंत्री से रिश्तों को ऊंचाई पर ले जाने की उम्मीद

अब पोम्पियो कह रहे हैं 'मोदी है तो मुमकिन है'

ललित झा
चीफ यूएस कॉरेस्पॉन्डेंट, पीटीआई
Twitter : @lalitkjha

अमेरिका का ट्रम्प प्रशासन अब दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के रिश्तों को अगले स्तर पर ले जाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कल्पनाशीलता और ऊर्जावान नेतृत्व की ओर देख रहा है। सच तो यह है कि तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के समय से ऊपर की ओर जाते दोनों देशों के रिश्ते अब उतने अच्छे नहीं रहे। अब जब दोनों देशों के राष्ट्रीय व रणनीतिक हित पहले की तुलना में कहीं ज्यादा समान है, तो यह रणनीतिक भागीदारी बिखरने का जोखिम पिछले दो दशकों में सर्वाधिक है। दोनों देशों के बीच पिछले कई दशकों के रिश्ते में यह दुर्लभ ही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारतीय प्रधानमंत्री के बारे में सार्वजनिक रूप से शिकायती स्वर निकाले हों। ट्रम्प ने तो इसे मासिक बयान ही बना दिया है। गत सितंबर में भारत को 'टैरिफ किंग' कहते हुए उन्होंने बदले में शुल्क लगाने की धमकी दी थी।

औसतन कम से कम महीने में एक बार ट्रम्प सार्वजनिक रूप से मोदी से टेलीफोन पर हुई चर्चा का उल्लेख करते हैं, जिसमें वे बताते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री ने उन्हें बताया कि हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल पर लगा शत-प्रतिशत टैक्स घटाकर आधा कर दिया है। ट्रम्प की ओर से ऐसे बयान 'यह काफी नहीं है', 'यह अस्वीकार्य है' आम हो गए हैं। वे कहते रहते हैं कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर उसी तरह रियायत दें, जैसी वह भारत को देता है। हर द्विपक्षीय संबंधों को आर्थिक दृष्टिकोण से देखने वाले अमेरिकी प्रशासन के मातहत व्यापार व शुल्क दोनों देशों के बीच प्रमुख विवादित मसला हो गया है। पिछले कुछ माह से ट्रम्प प्रशासन खासतौर पर व्हाइट हाउस और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधियों ने भारत के खिलाफ कड़े कदम उठाने के संकेत दिए हैं। मोदी के दूसरे कार्यकाल की शपथ लेने के दूसरे ही दिन ट्रम्प ने अमेरिकी कांग्रेस को सूचित किया कि हम भारत का वह दर्जा खत्म कर रहे हैं, जिसके तहत विकासशील देश के रूप में उसे व्यापार में रियायत मिलती थी। ट्रम्प ने अधिसूचना में कहा कि भारत ने अमेरिका को आश्वस्त नहीं किया है कि वह अपने बाजार अमेरिका के लिए समान अनुपात में खोलेगा।

इतना ही नहीं, यहां ऐसी चर्चा है कि अमेरिकी व्यापार प्रशासन भारत के खिलाफ जल्द ही धारा 301 के तहत जांच शुरू करेगा। इसमें यह जांच होगी कि भारत के अन्य देशों से व्यापारिक संबंधों से अमेरिकी हितों को चोट तो नहीं पहुंची है। अमेरिका ने पहले ही भारत के लिए प्रमुख रूप से विदेशी मुद्रा कमाने वाली आईटी कंपनियों पर एच-1बी वीजा के मुद्दे पर दबाव बनाया है। पिछले कुछ हफ्तों से अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि रूस से एस-400 मिसाइल खरीदने को लेकर ईरान जैसे दंडात्मक प्रतिबंधों से छूट को भारत मानकर नहीं चल सकता। उन्होंने नाटो के सहयोगी देश तुर्की की मिसाल दी है, जिसे अमेरिकी सख्ती का सामना करना पड़ा है। अमेरिकी अधिकारी अब डेटा लोकलाइजेशन और ई-कॉमर्स पॉलिसी पर भारत की ताजा कार्रवाइयों की वापसी चाहते हैं। सारे घटनाक्रम से अमेरिकी रणनीतिक समुदाय और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हलकों में हताशा है, जो पिछले कई दशकों से कहते रहे हैं कि भारत में कूटनीतिक पूंजी लगाना वाजिब है। उनका मानना है कि मजबूत भारत-अमेरिकी रिश्ते दुनिया में खासतौर पर इंडो-पेसिफिक क्षेत्र में स्थिरता व शांति सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है।

अमेरिकी रणनीतिक समुदाय को अहसास है कि जब तानाशाही सत्ताओं के कारण दुनिया की शांति जोखिम में है तो दोनों देशों के मजबूत रिश्ते शांति व कानून के राज को मजबूती देंगे। इसमें प्रधानमंत्री मोदी की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिन्होंने अपने पहले कार्यकाल में अपने रणनीतिक विज़न व नई सोच से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छाप छोड़ी है। सार्क देशों के नेताओं को शपथ समारोह में आमंत्रित करना, संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा करवाना, पेरिस जलवायु सम्मेलन में उनका नेतृत्व और काबुल से लौटते हुए लाहौर की जोखिमभरी यात्रा कुछ ऐसे कदम रहे, जिससे उन्होंने अपना प्रभाव स्थापित किया है। अमेरिकी रणनीतिक समुदाय जिनमें ट्रम्प प्रशासन के भी कई लोग हैं, अब मोदी से व्यक्तिगत हस्तक्षेप चाहते हैं, जैसा एक शीर्ष अमेरिकी डिप्लोमेट की टिप्पणी से जाहिर हुआ है। 'इंडिया आइडिया समिट ऑफ यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल' के दौरान भारत व अमेरिका के शीर्ष बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स को संबोधित करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हाल के चुनाव अभियान में कहा 'मोदी है तो मुमकिन है', मोदी मेक्स पॉसिबल। मैं शिद्दत से यह खोजना चाहता हूं कि दोनों राष्ट्रों के बीच क्या संभव है। यह इस बात का द्योतक है कि वॉशिंगटन डीसी में यह सोच है कि अब केवल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ही दोनों देशों के रिश्तों को बिखरने से बचा सकते हैं।

24 जून को पोम्पियो की नई दिल्ली यात्रा के पूर्व जापान के ओसाका में 27-28 जून को होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन में मोदी व ट्रम्प के मिलने की संभावना है। हालांकि, अब तक किसी द्विपक्षीय बैठक की योजना नहीं है लेकिन, ट्रम्प व मोदी जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ त्रिपक्षीय बैठक में शामिल होंगे। दोनों देशों के अधिकारी अब ट्रम्प-मोदी द्विपक्षीय बैठक पर काम कर रहे हैं, जो दो साल से ज्यादा वक्त से नहीं हुई है। संभावना है कि सितंबर तक एक बैठक हो जाए। चूंकि अगले साल से अमेरिका में चुनाव माहौल बन जाएगा तो दोनों नेताओं के पास ऐसा कुछ करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है, जो दोनों देशों के रिश्तों को दर्शनीय रूप से नई ऊंचाइयों पर ले जाए। किसी सकारात्मक कदम के लिए मोदी की कल्पनाशीलता की जरूरत होगी। यही वजह है कि पोम्पियो ने कहा, 'मोदी है तो मुमकिन है।'

सच तो यह है

लगातार कमर दर्द गठिया हो सकता है

कमर दर्द को लेकर आम धारणा यही है कि ज्यादा वजन उठा लिया होगा या उम्र बढ़ने पर ऐसा होता है, किचन में ज्यादा काम कर लिया होगा, सोते वक्त बिस्तर ठीक नहीं रहा होगा, गलत कुर्सी पर ज्यादा देर बैठे होंगे या माहवारी में ऐसा होता ही है आदि। लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। ज्यादा दिन दर्द रहने पर एकन्क्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या गठिया भी हो सकता है। गठिया रोग विशेषज्ञ डॉ. राहुल जैन (नारायणा मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, जयपुर) का कहना है कि आमतौर पर कमर दर्द को नजरअंदाज किया जाता है।

- कमर दर्द कई हफ्ते तक रहे तो डॉक्टर को दिखाएं। मर्जी से पेनकिलर लेकर काम न चलाएं।

- 40 की आयु के बाद 90 फीसदी लोग कमर दर्द से परेशान रहते हैं। इसके लिए इलाज ही पर्याप्त नहीं, अपनी जीवनशैली भी बदलें।

सुबह उठने पर आधे घंटे से ज्यादा कमर में अकड़न या दर्द रहे और काम करने पर धीरे-धीरे दर्द बंद हो जाए तो यह कमर का गठिया होने के संकेत होते हैं। रात को सोने पर दर्द और करवट लेने में परेशानी भी गठिया के शुरुआती लक्षण हैं। प्रारंभिक अवस्था में कमर से गर्दन की ओर बढ़ने वाली यह समस्या जोड़ों तथा शरीर के कुछ अन्य अंगों को भी प्रभावित करती है। कमर के गठिया को लगातार नजरअंदाज करने से कमर का लचीलापन खत्म जाता है, जिससे उठने-बैठने और अन्य कामों में परेशानी आती है। गर्दन का घूमना तक मुश्किल हो जाता है। इतना ही नहीं, यह आंखों, हृदय, फेफड़े, गुर्दे व अन्य अंगों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। आमतौर पर यह समस्या 40 से 45 वर्ष की उम्र में अधिक देखने को मिलती है।